## समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

## किसान पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र

समाज कल्याण की बैबसाईट https://socialwelfare.uk.gov.in टोल फ्री नम्बर 18001804093 से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है

1) कृषक / किसान का नाम श्री/श्रीमती
2) कृषक/किसान के पिता / पति का नाम श्री $\qquad$
3) स्थाई पता : मौहल्ला/ग्राम $\qquad$ आवेदक का नवीनतम फोटो

- पोस्ट ऑफिस $\qquad$
- ग्राम पंचायत /वार्ड का नाम $\qquad$
- न्याय पंचायत. $\qquad$

विकासखण्ड

जनपद $\qquad$

सदस्य क्षेत्र पंचायत/
जिला पंचायत अध्यक्ष/
सभासद नगरपालिका/
ग्राम विकास अधिकारी
(पंचायत)
से सत्यापित
4) जाति
5) कृषक/किसान की जन्मतिथि

आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
(भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल/फोटो पहचान पत्र/शैक्षणिक अभिलेख का प्रमाण पत्र की प्रति)
6) कृषक की भूमि का विवरण-नकल खसरा/खतौनी की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी है।
(उपरोक्त में से कोई एक नकल प्रति कृषक के प्रमाण हेतु अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
7) क्या स्वयं की भूमि में काश्तकारी/कृषक कार्य करता है.
8) आवेदक का डाकघर / ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता

- खाता संख्या

- IFSC नम्बर


डाकघर/बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।
9) वोटर पहचान पत्र संख्या
10) आधार /वर्चुअल कार्ड संख्या

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |

सहमति पत्र-
मैं
(नाम) आधार नम्बर.
समाज कल्याण विभाग की
पेंशन योजना हेतु प्रयोग में लाने तथा मेरी पहचान प्रमाणित करने की सहमति प्रदान करता/करती हूँ। (हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान) नाम: दिनांक.
11) स्वयं अथवा निकट सम्बंधी का मोबाईल नम्बर

आवेदक द्वारा घोषणा-

- में कु. / श्रीमती / श्री $\qquad$ .घोषणा करती / करता हू कि आवेदन पत्र में उपरोक्त दी गई सूचना मेरे जानकारी के अनुसार सही है। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिए गए लाभ की वसूली भू-राजस्व की भांति कर ली जाए।
दिनांक: $\qquad$ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी
- प्रमाणित किया जाता है कि कु./ श्रीमती / श्री. $\qquad$ पात्रता की श्रेणी में आती है /आते हैं, का ग्राम सभा की खुली बैठक दिनांक ............... प्रस्ताव संख्या द्वारा किसान पेंशन हेतु पात्रता के अंतर्गत पेंशन दिए जाने हेतु चयन किया गया है।
(ग्रामीण क्षेत्र के लिए)

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के हस्ताक्षर, (नाम सहित) एवं मुहर
(शहरी क्षेत्र के लिए)

सहायक निरीक्षक उद्यान / कृषि
(नाम सहित) एवं मुहर

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
(नाम सहित) एवं मुहर

